

प्रश्नक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
पिन्टू मेमोरियल सूर्या एकेडमी,
सेक्टर-7, जानकीपुरम् विस्तार,
लखनऊ

पत्रांक-बेसिक/मान्यता-स्थायी/ 8354

/2018-19 दिनांक 21.12.18

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 8.5.2013 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक/बेसिक-एस0टी0/3462/2014-15 दिनांक 24.09.2018 द्वारा आपके विद्यालय को प्री प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल (नर्सरी से कक्षा 08 तक) स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता तीन वर्ष हेतु प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के बिन्दु (15) में उल्लिखित है कि औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उक्त प्रकरण पर आप द्वारा किये गये आवेदन एवं क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है। अतः उक्त अवधि के पश्चात उपरोक्तानुसार विद्यालय संचालित रखने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है-

1. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) तथा नियमावली 11 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
3. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है

और,

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

6. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
7. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
8. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
9. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
10. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
11. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
12. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
13. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ० अमर कान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

प्र०सं० एवं दिनांक-उक्तवत

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ, इलाहाबाद।
3. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

22.12.18